**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2956**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**शिवरामकृष्णन समिति प्रतिवेदन**

**2956. श्री सी॰ एम॰ रमेशः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार को जानकारी है कि शिवरामकृष्णन समिति ने आन्ध्र प्रदेश को थाइलैंड, मलेशिया, श्रीलंका को कड़ी टक्कर देने वाला प्रतिस्पर्धा बनाने और जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य के लिए लागत प्रभावी विनिर्माण हब बनाने हेतु 4.5 लाख करोड़ रुपए का विकास पैकेज प्रदान करने की परिकल्पना की है;**

**(ख) क्या यह भी सच है कि समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि इससे सरकार की ‘‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’’ के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी; और**

**(ग) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से पूर्व की ओर आन्ध्र प्रदेश को भारत की प्राथमिक आर्थिक कंपनी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (ग): शिवरामकृष्णन समिति का गठन उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के जगह के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन तथा मूल्यांकन करने और संबंधित मुद्दों के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई समर्थक दस्तावेज संलग्न किए थे। इस प्रकार संलग्न समर्थक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न विवरणों तथा आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (एपीआर अधिनियम) में शामिल समझौते के आधार पर 4.5 लाख करोड़ रूपए के पैकेज के निर्देशात्मक आंकड़े का उल्लेख किया गया है। उक्त रिपोर्ट में “एक्ट ईस्ट पॉलिसी” का कोई उल्लेख नहीं है। अभी तक, विभिन्न मंत्रालयों ने एपीआर अधिनियम, 2014 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को 12,476.76 करोड़ रूपए की कुल राशि जारी की है। जिसमें अमरावती स्थित नई राजधानी के निर्माण हेतु 2500 करोड़ रूपए शामिल हैं।

\*\*\*\*